तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	07/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। नाम आदेश की पालना में दिनांक 26/11/25 को पेश हो। पाठक पेशकार
	26/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वास्ते मजीद बहस पत्रावली दिनांक 22/12/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
	24/12/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण मजीद बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 24/12/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
	24/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० वाद वादीगण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 24/12/25 उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई

उनवान– हरिसंह बनाम राज. सरकार वगै

दावा उदघोषणा दुस्ती नक्शा ट्रेस

मुकदमा नम्बर : 22/2024

आदेश है कि भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 185 खसरा नम्बर 485 रकबा 4.89 हैक्टेयर वाके ग्राम भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में दावा उदघोषणा दुरूस्ती नक्शा ट्रैस का खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज..............मुबलिग...बाबत्.......................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

24/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत......... 24/12/25

.ओहदा..................

न्यायायल उपजिला कलक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु.न. 22/2024
दर्ज दिनांक 1.02.2024
निर्णय दिनांक 24.12.2025

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र सूरजमल
2. अरविन्द पुत्र हरिसिंह
3. अनिल पुत्र हरिसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी दुब्बी बिवाई तहसील बैजूपाडा जिला दौसा, हाल निवासी वार्ड नम्बर 24 आदर्श विधा मन्दिर के पीछे बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

4. डोपनिक पीलवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार उम्र 37 वर्ष जाति गुर्जर निवासी दुब्बी बिवाई तहसील बैजूपाडा जिला दौसा, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया बैंक शाखा बांदीकुई, जरिये शाखा प्रबन्धक ।

प्रतिवादी

वादपत्र उद्घोषणा दुरूस्ती नक्शा ट्रैस भूमि खसरा नम्बर 486/1336 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाके ग्राम भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा दुरूस्ती नक्शा ट्रैस जरिये वकील श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट के पेश किया। जिसका विवरण संक्षिप्त में निम्नानुसार हैः–वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 185 खसरा नम्बर 485 रकबा 4.89 हैक्टेयर वाके ग्राम भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसके उत्तरी–पश्चिमी दिशा के सटवा भूमि खसरा नम्बर 486/1336 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म चारागाह ग्राम भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व नक्शा ट्रैस सम्वत 2045 व हाल वादपत्र के साथ संलग्न है। खातेडार नरेन्द्र कुमार की मृत्यु से चुकी है, उसका वारिस वाडी से 4 है। भूमि खसरा नम्बर 486/1336 को हाल नक्शा ट्रैस में वादी की भूमि 485 के नक्शा ट्रैस के दक्षिणी–पश्चिमी भुजा की ओर कम करके उसका रकबा कम कर दिया गया है जबकि पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 486/1336 का रकबा वादी की भूमि खसरा नम्बर 485 के उत्तरी एंव दक्षिणी भुजा की ओर बढा हुआ था। इस प्रकार नये नक्शा ट्रैस में भूमि खसरा नम्बर 486/1336 की उत्तर पूर्वी एंव दक्षिण पूर्वी भुजा की ओर रकबा नक्शा ट्रैस में कम कर दिया गया है जबकि पुराने नक्शा ट्रैस में उपरोक्त खसरा नम्बर का नक्शा जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रैस में बिलकुल सही था। डिजिटल नक्शे बनाते समय लगभग तीन वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व उपरोक्त गलत नक्शा ट्रैस सहवन से बन गया है जिसको दुरुस्त करवाया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। वादीगण न्यायालय हाजा से पुराने नक्शा ट्रैस खसरा नम्बर 486/1336 के अनुसार ही नये नक्शे की दुरुस्ती बाबत न्यायालय हाजा से उद्घोषणा की डिकी इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि नये नक्शे को पुराने नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जावे। वादीगण ने वादपत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित अपनी भूमि खसरा नम्बर 485 की पैमाईश बाबत हल्का पटवारी से नक्शा ट्रैश दिनांक 20/09/2023 को प्राप्त करने पर उसे जानकारी हुई की उनकी भूमि खसरा नम्बर 486/1336 की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 486/1336 की भूमि कम कर दी गई है। इस पर उसने तहसीलदार से दुरुस्ती बाबत कहा तो तहसीलदार ने न्यायालय हाजा में दावा पेश करने की कहने से वाद कारण पैदा होकर वादपत्र अन्दर मियाद पेश है।है कि भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा के वादपत्र की सुनवाई का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। वादपत्र हस्ब कायदा 02 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 485 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 486/1336 की उत्तर-पूर्वी एंव दक्षिण-पूर्वी भुजा में जो रकबा नये नक्शे में कम कर दिया गया है उसे पुराने नक्शे ट्रैस के अनुसार दुरुस्त की उद्घोषणा की जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित किया जावे कि वो पुराने नक्शे ट्रैस के अनुसार नये नक्शा ट्रैस को दुरुस्त करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामिल उपस्थित नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस पर नियत की गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वादपत्र को दोहराते हुए भूमि खसरा नम्बर 485 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 486/1336 की उत्तर-पूर्वी एंव दक्षिण-पूर्वी भुजा में जो रकबा नये नक्शे में कम कर दिया गया है उसे पुराने नक्शे ट्रैस के अनुसार दुरुस्त की उद्घोषणा करवाने के संबंध में निवेदन किया। हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे ये साबित हो सके कि भूमि खसरा नम्बर 485 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 486/1336 की उत्तर-पूर्वी एंव दक्षिण-पूर्वी भुजा में रकबा नये नक्शे में कम कर दिया गया है। दावा साबित करने में असफल रहे है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 185 खसरा नम्बर 485 रकबा 4.89 हैक्टेयर वाके ग्राम भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में दावा उद्घोषणा दुरुस्ती नक्शा ट्रैस का खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

24/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner